बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

एस0एल0पी0 संख्या-1240-1244/2011 के न्याय निर्णय से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षी अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-0511 से संबंधित विस्तृत सूचना

आरक्षी अवर निरीक्षक (वेतनमान-9300-34800) के 299 रिक्त पदों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-1240-1244/2011 में दिनांक-02.02.2011 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नियुक्ति हेतु 223 याचिकाकर्त्ताओं से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

1. **रिक्तियों की संख्या आरक्षण कोटिवार निम्नलिखित है :-**

(i)	अनुसूचित जाति	-	47
(ii)	अनुसूचित जनजाति	-	04
(iii)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	54
(iv)	पिछड़ा वर्ग	-	37
(v)	पिछड़ा वर्ग की महिला	-	08
(vi)	सामान्य	-	149
	योग	-	**299**

रिक्तियाँ औपबंधिक है, घट-बढ़ सकती है ।

2. **शैक्षणिक योग्यता-** स्नातक अथवा बिहार सरकार द्वारा अभिज्ञात उसके समकक्ष परीक्षा उतीर्ण हो ।

3. **उम्र सीमा :-**

(i) न्यूनतम आयु :-21(इक्कीस) वर्ष ।

अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की गणना दिनांक-01.08.2010 को (1) अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष। (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)- 40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष के आधार पर की जायेगी।

उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट 01 अगस्त 2010 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-2374 दिनांक-16.07.2007 के आधार पर निर्धारित किया गया है तथा उम्र सीमा का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-2530 दिनांक-29.06.2010 के आधार पर किया गया है।

(ii)माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-1240-1244/2011 में दिनांक-02.02.2011 को पारित आदेश से आच्छादित 223 याचिकाकर्त्ताओं को उनके उम्र में छूट देने पर विचार किया जा सकता है ।

4. **आरक्षण :-**

(i) बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे । मात्र उन्हीं उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं । बिहार राज्य के बाहर के निवासी उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, अर्थात् उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । वे सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे ।

(ii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, के लिए जाति प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 द्वारा अधिसूचित **अंचलाधिकारी** द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे । अत्यंत

पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की दशा में क्रीमीलेयर में नहीं रहने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी का माना जाएगा तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(iii) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और वे सामान्य श्रेणी के माने जाएगें ।

5. **चयन की प्रक्रिया:-**

(1) शारीरिक माप एवं जांच- पुरूष उम्मीदवार एक मील की दौड़ न्यूनतम 6 मिनट के अन्दर पूरा कर सकेंगे, वे निम्न माप एवं जांच में सम्मिलित होने के हकदार होंगे :-

	जांच हेतु विशिष्टाएं	अनुसूचित जाति/जनजाति(पुरूष)	अन्य (पुरूष)
क.	न्यूनतम उंचाई	160 से0मी0	165 से0मी0
	न्यूनतम सीना(बिना फुलाये)	79 से0मी0	81 से0मी0
	न्यूनतम सीना (फुलाकर)	84 से0मी0	86 से0मी0
ख.	उंची कूद (सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए)	-	न्यूनतम 4 फिट
	लंबी कूद ,, ,, ,, ,,	-	न्यूनतम 12 फिट
	16 पौंड का गोला फेंक ,, ,, ,,	-	न्यूनतम 16 फिट

ग. महिला उम्मीदवार की न्यूनतम उंचाई एवं वजन क्रमश: 160 से0मी0 एवं 48 कि0ग्रा0 हो ।

शारीरिक माप एवं जाँच आरक्षी महानिदेशक द्वारा गठित बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसकें अध्यक्ष, आरक्षी उप-महानिरीक्षक से न्यून स्तर के पदाधिकारी नहीं होंगे । समाचार पत्रों के माध्यम से उम्मीदवारों को स्थान, तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी । जाँच के निष्कर्ष की सूचना उसी दिन उम्मीदवारों को दे दी जायेगी जिस दिन उनकी जाँच होती है । असंतुष्ट उम्मीदवार यदि चाहें तो उसी दिन जाँच बोर्ड के समक्ष शिकायत रख सकेंगे । जाँच बोर्ड द्वारा शिकायत की सुनवाई आयोग के प्रेक्षक की उपस्थिति में की जायेगी और शिकायत कर्त्ता को निष्कर्ष की सूचना दे दी जायेगी ।

(2) लिखित परीक्षा-शारीरिक माप एवं जांच में सफल उम्मीदवारों की निम्न विषयों की वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव टाईप) परीक्षा होगी । बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे । प्रत्येक प्रश्न के सही उतर के लिए 1.0 अंक मिलेगा तथा गलत उतर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक 100 होंगे । प्रत्येक पत्र 2 घंटा 15 मिनट की अवधि का होगा ।

(1) **सामान्य हिन्दी**-मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे । अभ्यर्थियों को कम से कम 30 अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा अन्यथा वे असफल घोषित कर दिए जायेंगे । इस विषय के प्राप्तांक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जायेगा ।

(2) **सामान्य ज्ञान-** इसमें अंकगणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, के मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेगें । इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, स्वतंत्रता आन्दोलन एवं सामयिक विषय यथा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/भाषा/पुस्तक/लिपि/राजधानी/मुद्रा/खेल-खिलाड़ी/ महत्वपूर्ण घटनाएं आदि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जायेगें ।

(3) **ऐच्छिक विषय (Optional Subjects) -** उम्मीदवार को निम्नांकित सूची में दिये गये विषयों में से दो ऐच्छिक विषयों का चयन करना होगा :- 1.(a) भारतीय इतिहास (प्राचीन काल) अथवा 1.(b) भारतीय इतिहास (मध्य काल से आधुनिक काल), 2. भूगोल, 3.(a) अर्थशास्त्र अथवा 3.(b) वाणिज्य, 4.(a) लोक प्रशासन एवं भारतीय संविधान अथवा 4.(b) राजनीति शास्त्र, 5.(a) दर्शन शास्त्र अथवा 5.(b) मनोविज्ञान, 6. समाज शास्त्र, 7.(a) सांख्यिकी अथवा 7.(b) गणित, 8.(a) भौतिकी अथवा 8.(b) रसायन शास्त्र, 9.(a) जन्तु

विज्ञान अथवा 9.(b) वनस्पति विज्ञान । प्रश्न पत्रों का स्तर स्नातक पास कोर्स का होगा । अभ्यर्थी के द्वारा चयनित ऐच्छिक विषयों को किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

मैट्रिक स्तर एवं स्नातक स्तर के विषयों के लिए क्रमशः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं पटना विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए निर्धारित सिलेबस लागू होगें ।

6. **क्वालिफाईंग मार्क्सः-**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांकः-16.07.2007 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया गया हैः-सामान्य वर्गः- 40%, पिछड़ा वर्ग-36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-34%, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग-32% ।

7. **चरित्र एवं स्वास्थ्य**-उम्मीदवार का नैतिक चरित्र अवश्य ही अच्छा हो । उसे ऐसे रोग, गठन, विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह आरक्षी के कर्तव्यों के अयोग्य हो या हो सकता है । हकलाना या तुतलाना ऐसी त्रुटि है, जिसके चलते उम्मीदवार अयोग्य होगा । यदि किसी उम्मीदवार की दो पत्नियां जीवित हों तो वह नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जायेगा जब सरकार विशेष कारणों के आधार पर घोषित करे कि इस नियम को क्षान्त करने का औचित्य बनता है । किसी उम्मीदवार के पक्ष में किसी भी तरह के कनवास (Canvass) करने के प्रयास के आधार पर उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । इसका कड़ाई से पालन होगा ।

8. **परीक्षा शुल्क :-**परीक्षा शुल्क के रूप में 200/-(दो सौ रूपये) का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा । पोस्टल ऑर्डर सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पदनाम से होगा तथा जी0 पी0 ओ0, पटना में भुगतेय होगा । मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 50/- (पचास रूपये) का क्रॉस्ड भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएगें तथा परीक्षा शुल्क के लिए 200/- (दो सौ रूपये) का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना आवश्यक होगा । यह राशि लौटायी नहीं जायेगी । पोस्टल ऑर्डर संख्या का स्पष्ट उल्लेख आवेदन के निर्धारित स्थान में करना अनिवार्य होगा । निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं करने पर आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा ।

9. **आवेदन करने की विधि :-** (1) अच्छे ए4 साईज के सादा कागज (65 जी.एस.एम.) पर संलग्न प्रपत्र में आवेदन करें । आवेदन प्रपत्र को पन्ने के दोनों तरफ (Back to Back) फोटोकॉपी करा लें। आवेदन के उपर अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका दें (दोनों स्थानों पर) । **सभी सूचनाओं को प्रपत्र में दिये गये निदेशों के अनुसार साफ-साफ अंग्रेजी में भरें ।** आवेदन पत्र में दिये गये दोनों स्थानों पर पूरा हस्ताक्षर करें । अधूरा या अपूर्ण भरा गया आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा । आवेदक यदि कोई गलत सूचना भरता है अथवा कोई सूचना छुपाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । न्याय निर्णय से आच्छादित सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर विज्ञापन संख्या-704 का अनुक्रमांक (रौल नं0) अंकित करेंगे ।

10. **अनुलग्नकः-**आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित निम्नांकित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करें :-

   1. सबसे पहले आवेदन पत्र ।
   2. ,, मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र । (जन्म तिथि के लिए) ।
   3. ,, स्नातक/समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र ।
   4. ,, स्नातक/ समकक्ष परीक्षा अंक पत्र ।

5. ,, जाति प्रमाण पत्र । (क्रीमीलेयर में नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ, जहाँ लागू हो)

6. ,, आवासीय प्रमाण पत्र ।

7. ,, 7.5'' × 4.5'' आकार का साधारण लिफाफा । लिफाफा के अन्दर अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो रख दें । लिफाफा के उपर पत्राचार का पता लिख दें ।

8. ,, परीक्षा शुल्क के लिए निर्धारित राशि का पोस्टल ऑर्डर ।

11. **अन्य :-** (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा ।

(ii) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(iii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो ।

(iv) वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा ।

(अ) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा । उम्मीदवार अपनी हस्तलिपि में ही अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरें ।

12. परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड निर्गत होना अर्हता का संपुष्टि एवं दावा नहीं माना जायेगा । सफल उम्मीदवार की अर्हता का निर्णय अलग से किया जायेगा ।

13. इस सूचना में दी गई शर्त्तों, रिक्तियों, अर्हताओं, परीक्षा की विशिष्टियों आदि में पूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार आयोग को सुरक्षित रहेगा जिसके लिए आवश्यकतानुसार सूचना दी जाएगी ।

14. **अंतिम तिथि** - भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि दिनांक-28.07.2011 की संध्या 05.00 बजे तक सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-800014 को अवश्य प्राप्त हो जाये । हाथों-हाथ अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा ।

उपर्युक्त विज्ञापन आयोग के वेबसाईट ***http://bssc.bih.nic.in*** पर उपलब्ध है।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।